में जारी हुए

18/5/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। न्यायालय समय में एक-एक कर कई बार आवाजें लगवाई। अधिवक्ता वादीगण अथवा वादीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी अदम सबूत में खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner